



NARESH CHANDRA GUPTA
ADVOCATE

Address : House No. 8, Vivekanand Nagar, Raipur (C.G.)
Mobile : 94252-03002, 81093-62000
E-mail : abhishekguptaji@gmail.com
Member : Direct Tax Advisory Committee, Raipur (C.G.)
GST - Grievance Redressal Committees at Zonal/State

Ref. 01/12/25

Date : 09/12/2024

प्रतिष्ठा,

श्री २५३ जी /

विषय :-

डी.एम.एफ.टी. कोरबा के तात्कालीन कलेक्टर श्री अब्दुल केशर हक के द्वारा डी.एम.एफ.टी. के राशि 25 करोड़ को फर्जी तरीके से सी.पेड में जाना बताकर भ्रष्टाचार करने पर कार्यवाही करने बाबत।

संदर्भ :-

1. डी.एम.एफ.टी. स्टेट बैंक का एकाउंट डिटेल
2. डी.एम.एफ.टी. कोरबा का लेजर क्रमांक 57 में सी.पेड का उल्लेख है
3. सी.पेड रायपुर का पत्र क्रमांक सी.पेड-राय/प्रशा./सू.अधि./अंखू/2025 - 25/2566 दिनांक 20.11.2024

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि वर्ष 2018 में तात्कालीन कलेक्टर श्री अब्दुल केशर हक के द्वारा अपने पद का दुरुपयोग करते हुए भ्रष्टाचार करने की नियत से डी.एम.एफ.टी. के फण्ड से 25 करोड़ की राशि का बड़ा भ्रष्टाचार किया है यह देखा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ के समस्त जिलों में डी.एम.एफ.टी. व सीएसआर के मद का बड़े पैमाने में दुरुपयोग व भ्रष्टाचार छ.ग. के समस्त जिलों में हो रहा है मुख्य रूप से जिला कोरबा के तात्कालीन कलेक्टर श्री अब्दुल केशर हक के द्वारा 2018 में कलेक्टर रहते हुए डी.एम.एफ.टी. के बैंक खाते से फर्जी तरीके से 25 करोड़ रुपये का हस्तांतरण जिला खनिज न्यास निधि के भारतीय स्टेट बैंक इंडिया आईटीआई कालोनी रामपुर कोरबा के खाता क्रमांक 35426068489 से 25 करोड़ रुपये सी.पेड रायपुर को दिनांक 18.09.2018 को अपने लेजर क्रमांक 57 में इसका उल्लेख है से सी.पेड का खाता क्रमांक 0035019988579 में हस्तांतरण बताया जा रहा है परंतु सी.पेड रायपुर के द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम के माध्यम से जानकारी अपने पत्र क्रमांक सी.पेड रायपुर का पत्र क्रमांक सी.पेड-राय/प्रशा./सू.अधि./अंखू/2025 - 25/2566 दिनांक 20.11.2024 के माध्यम से जानकारी दी गई है कि उन्हें दिनांक 01.04.2018 से 31.03.2019 के मध्य किसी भी प्रकार का सी.पेड रायपुर को डी.एम.एफ.टी. कोरबा से कोई राशि प्राप्त नहीं हुआ है।

अतः आपसे अनुरोध है कि संलग्न दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि तात्कालीन कलेक्टर श्री अब्दुल केशर हक के द्वारा फर्जी खाते में डी.एम.एफ.टी. से 25 करोड़ रुपये हस्तांतरण कर बड़ा भ्रष्टाचार किया गया है इस संबंध में श्री अब्दुल केशर हक से 25 करोड़ रुपये की वसुली करते हुए उनके खिलाफ जल्दी कार्रवाई करने की कार्यवाही करने हेतु निर्देश देना चाहेंगे।

संलग्न - उपरोक्तानुसार।

प्रति,

माननीय श्री जी. किशन रेड्डी जी,
केन्द्रीय कोयला एवं खान मंत्रालय,
भारत सरकार, नई दिल्ली

नरेश चन्द्र गुप्ता

